नगरीय वित्त

त्रैमासिक समाचार पत्रिका, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान

रा न का स

USAID | INDIA
FROM THE AMERICAN PEOPLE

INDO - USAID FIRE (D) PROJECT

खंड 8 सं० 1
जनवरी - मार्च, 2005

नगरीय स्थानीय निकायों के संदर्भ में 12वें वित्त आयोग की सिफ़ारिश

संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन की भावना तथा विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के प्रोत्साहन की माँग को देखते हुए 12वें वित्त आयोग ने सिफ़ारिश किया है कि पंचायतों एवं नगरीय स्थानीय निकायों के संसाधन की माँग पूरी करने के लिये राज्य के संचित निधि को बढ़ाने की जरूरत है। नगरीय स्थानीय निकायों को 2005-10 के बीच की अवधि के लिये अनुदान सहायता के रूप में 250 अरब (250 बिलियन) रुपये दिया गया है। यह अनुमानित रूप से 2005-10 के बीच की अवधि में राज्य द्वारा दी जाने वाली अंशदायी कर राजस्व का 1.24 % तथा केन्द्र के सकल राजस्व प्राप्तियों के 0.9 % के तुल्य होगी।

पंचायती राज तथा नगरीय स्थानीय निकायों के बीच अनुदान का बँटवारा क्रमशः 80:20 के अनुपात में होगा। इसके पीछे तर्क यह है कि स्थानीय नगरीय निकायों की पहुँच कर एवं गैर-कर संसाधनों पर अधिक होती है। इसे ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई) को अधिक मदद की आवश्यकता है। पंचायती राज संस्थाओं के लिये 20,000 करोड़ रुपये तथा स्थानीय नगरीय संस्थाओं के लिये 5,000 करोड़ रुपये निर्धारित किये गए हैं। इस अनुदान का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के संदर्भ में सेवा प्रदाय को सुधारने में होगा। स्थानीय नगरीय निकायों को ठोस कचरे के संग्रहण, छँटाई एवं परिवहन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। 2001 की जनगणना के अनुसार, एक लाख से अधिक आवादी वाले नगरीय स्थानीय निकाय के नगरों से राज्य सरकार अपेक्षा करती है कि वे एक विस्तृत योजना तैयार करे जिसमें कम्पोस्टिंग तथा कचरे से ऊर्जा के निर्माण का कार्यक्रम शामिल हो जिसे उपयुक्त सहायक अनुदान के माध्यम से निजी क्षेत्रों द्वारा पूरा किया जाय। हॉलाकि कचरा संग्रहण, छँटाई एवं परिवहन का खर्च सहायक अनुदान से वहन होगा; किन्तु निजी सार्वजनिक साझेदारी में यह कार्य होने के कारण उसे व्यवसायिक दृष्टि से व्यवहार्य भी होना चाहिये। प्रत्येक राज्य को नगरीय स्थानीय निकायों के लिये निर्धारित अनुदान का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा ठोस कचरा व्यवस्थापन योजना (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम - एस.डब्ल्यू.एम.एस) के लिये निर्धारित करना चाहिये। दिल्ली, मुम्बई, कोलकता, चेन्नई, बंगलोर एवं हैदराबाद को इस अनुदान से वंचित किया गया है; क्योंकि इस सेवा के लिये वे संसाधनों की उगाही कर सकते हैं। पंचायती राज संस्थान तथा नगरीय स्थानीय निकायों को आधुनिक तकनीक एवं व्यवस्थात्मक प्रणाली के माध्यम से आधारभूत आँकड़ों के सृजन तथा लेखा अनुपालन में आने वाले खर्च को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिये। केन्द्रीय वित्त आयोग ने यह सिफ़ारिश की है कि केन्द्र सरकार इस बात को गंभीरता से ले कि राज्य सरकार के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकायों को दी जाने वाली अनुदान राशि निर्गत करने में अनुदान जारी करने की तिथि से लेकर 15 दिन से अधिक का विलम्ब न हो।

आयोग के सिफ़ारिश की एक झलक

I. पंचायती राज्यों के संसाधन में वृद्धि के लिये राज्य नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा किये गये श्रेष्ठ कार्यों को अपना सकते हैं।

II. राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी) के निर्माण, उनके क्रमिक गठन, पुनर्निर्माण, रिपोर्ट जमा करने, विधायिका में किये गये कार्यों (ए.टी.आर) की पेशगी आदि में होने वाले विलम्ब पर राज्य सरकार अंकुश लगाए। यह आवश्यक है कि राज्य वित्त आयोग का गठन सिफ़ारिश भेजे जाने की तिथि के दो वर्ष पूर्व हो जाय। इसके साथ ही अंतिम तिथि का निर्धारण इस प्रकार हो कि राज्य सरकार को ए.टी.आर की पेशगी के लिये कम से कम तीन महीने का समय मिल जाय। बेहतर यह होगा कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट के साथ ही इसकी पेशगी हो।

इस अंक में

नगरीय स्थानीय निकायों के संदर्भ में 12वें वित्त आयोग की सिफ़ारिश 1

भारत में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा किये गये श्रेष्ठ कार्य 3

राज्य की नगरीय रूपरेखा 6

कर मुक्त बाँड से संबंधित नवीनतम सूचना.. 7

अधःसंरचना के संदर्भ में 2005-06 के बजट की विशेषता 8

कोच्चि घोषणा पत्र 9

संक्षेप में नगरीय अधःसंरचना से जुड़े समाचार 11

III. राज्य वित्त आयोग के गठन के उपरांत शीघ्रता से उसकी सिफ़ारिश केन्द्रीय वित्त आयोग तक पहुँच जानी चाहिये ताकि एक समरूप सिद्धांत के आधार पर विभिन्न राज्यों की जरूरत का मूल्यांकन केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा हो सके। इसके साथ ही यह आवश्यक है कि ये रिपोर्ट असंदर्भित न हों। चूँकि केन्द्रीय वित्त आयोग के निर्माण का समय निश्चित है इसलिये उसे ध्यान में रखकर राज्यों द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाय।

IV. राज्य वित्त आयोग का गठन सुयोग्य एवं ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों द्वारा हो जिन्हें आवश्यक योग्यता के साथ-साथ इस क्षेत्र का अनुभव भी हो।

V. राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफ़ारिश को बिना किसी संशोधन के स्वीकार करने की परंपरा को राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिश के संदर्भ में भी पालन किया जाय।

VI. राज्य वित्त आयोग स्पष्ट रूप से उन मुद्दों की पहचान करे जिस पर राज्य के संचित निधि को बढ़ाने के लिये केन्द्र सरकार को निर्णय लेना है तथा एक अलग अध्याय के रूप में सूचीबद्ध करके केन्द्रीय वित्त आयोग के विचाराधीन सौंपे।

VII. व्यवसायिक कर की उच्चतम सीमा को बढ़ाने के संदर्भ में राज्य वित्त आयोग द्वारा दिये गये परामर्श का समर्थन करते हुए केन्द्रीय वित्त आयोग ने उसे कार्रवाई के लिये भेजा है।

VIII. यह आवश्यक है कि केन्द्र द्वारा राज्यों को संसाधन के हस्तान्तरण के संबंध में केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा जो प्रक्रिया अपनायी जाती है वही प्रक्रिया राज्यों द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को संसाधन के हस्तांतरण के संदर्भ में राज्य वित्त आयोग द्वारा अपनाई जाय। राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिश में वित्तीय हस्तांतरण के पहले तथा बाद की अवस्था में राज्य सरकार तथा नगरीय स्थानीय निकायों के वित्त का अनुमान तथा विश्लेषण शामिल हो। इसके साथ ही, सिफ़ारिश में उल्लिखित साधनों के आधार पर उगाहे जानेवाले अतिरिक्त राजस्व की मात्रा का भी उल्लेख हो। इसके बाद भी रह जाने वाली कमियाँ केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा की जाने वाली सिफ़ारिश के मसौदे का आधार बनेगी।

IX. नगरीय स्थानीय निकायों के संसाधन के आकलन के दौरान राज्य वित्त आयोग आदर्शात्मक विधि के आधार पर नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व एवं व्यय का मूल्यांकन करे न कि पिछले प्रवृति को देखकर पूर्वानुमान द्वारा।

X. राज्यों के वित्त विभाग में एक स्थायी राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ का निर्माण किया जाय जहाँ क्रमबद्ध रूप से आंकड़ों का संग्रहण एवं मिलान हो तथा राज्य वित्त आयोग के गठन के उपरांत आवश्यकतानुसार ये आँकड़े उपलबध कराये जा सकें।

XI. राज्य के संचित निधि को बढ़ाने के लिये अनुदान सहायता के रूप में वर्ष 2005-10 के लिये आपसी अंशदान के साथ पंचायतों को 20,000 करोड़ रुपये तथा नगरीय स्थानीय निकायों को 5,000 करोड़ रुपये दिये जाएँ।

XII. पंचायती राज संस्थाओं को जलापूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी संपदा के रख रखाव का जिम्मा लेने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिये तथा मरम्मत/रख रखाव के लिये दिये जानेवाले अनुदान तथा क्रियान्वयन एवं व्यवस्थापन संबंधी खर्च का उपयोग करना चाहिये। इस प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं को चाहिये कि इस पर आने वाले कुल खर्च के कम से कम 50 प्रतिशत की उगाही उपयोग शुल्क के रूप में हो।

XIII. पंचायतों को दिये जाने वाले अनुदान में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी क्रियात्मक एवं व्यवस्थात्मक खर्चे को प्राथमिकता दी जाय। इससे पंचायतों में विभिन्न कार्यक्रमों की जिम्मेवारी लेने तथा उसे कार्यरूप देने की भावना को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

XIV. नगरीय स्थानीय निकायों को देने के लिये राज्यों को मिले कुल अनुदान का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा निजी सार्वजनिक साझेदारी द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी कार्यक्रमों के लिये निर्धारित होना चाहिये। इसके साथ ही, नगरीय स्थानीय निकायों का पूरा ध्यान ठोस कचरे के संग्रहण, छाँट तथा परिवहन पर केन्द्रित होना चाहिये। ये क्रिया कलाप चाहे आन्तरिक स्रोत से हों या बाहरी स्रोत से उन पर आने वाले खर्च का वहन अनुदान द्वारा होगा।

XV. अधिसंख्यक राज्यों में नगरीय स्थानीय निकायों के वित्त से संबंधित विश्वसनीय सूचनाओं का अभाव रहता है। निश्चित रूप से, आँकड़ों के सृजन तथा लेखा संबंधी रिकार्ड रखने के लिये नगरीय

स्थानीय निकायों को धन की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में, प्रत्येक स्थानीय निकायों की आवश्यकता के आकलन के उपरांत राज्य सरकारें कुल आबंटित धन में से उक्त धन का निर्धारण कर सकती है।

XVI. सामान्य तथा अलग-थलग क्षेत्रों के लिये (उत्तर पूर्व भारत के कुछ क्षेत्र) अलग से अनुदान का प्रावधान नहीं किया गया है। यह संबंधित राज्यों का दायित्व है कि राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों के साथ-साथ सामान्य तथा अलग-थलग क्षेत्रों के बीच ईमानदारी एवं न्यायपूर्ण ढ़ंग से अनुदान सहायता का वितरण हो।

XVII. अनुदान सहायता जारी करने हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा जारी सुझाव के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा कोई अन्य शर्त न लगायी जाय।

भारत के नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा किये गए श्रेष्ठ कार्य
चयनित राज्यः उड़ीसा

संबलपुर नगरपालिका में मनोरंजक स्थल का विकास 1

बढ़ते यातायात एवं प्रदूषण की विभीषिका को देखते हुए एकाकी एवं शांतिपूर्ण मनोरंजक स्थल नगरों की आवश्यकता बन गई है। इस संदर्भ में, प्रशासनिक पहल को देखते हुए संबलपुर सिटी कॉंसिल ने संबलपुर नगर के पर्यावरणीय अधःसंरचना के विकास का जिम्मा लिया है। तदनुसार, सेन पार्क एवं राम सागर बंधा बोटिंग क्लब के विकास का निर्णय लिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम - महानदी कोयला लिमिटेड (एम.सी.एल), स्थानीय क्षेत्रीय विकास कोष तथा नगरीय स्थानीय निकाय कोष द्वारा इस पहल को वित्तीय सहायता मिल रही है। इस नवीनतम उपलब्धि से पता चलता है कि निष्ठा एवं कुशल नेतृत्व के आधार से नगर के वातावरण में परिवर्त्तन लाया जा सकता है।

पहल के पूर्व की परिस्थिति

बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या एवं वाहनों की संख्या के कारण संबलपुर की पर्यावरणीय परिस्थिति बिगड़ती जा रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए एक एकाकी एवं शांतिपूर्ण मनोरंजक स्थल की आवश्यकता महसूस की जा रही थी; किंतु, अपनी अन्य प्राथमिकताओं के कारण स्थानीय स्वशासन इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही थी। दूसरी ओर खाली भूमि का उपयोग कचरा विसर्जन क्षेत्र के रूप में हो रहा था जिससे रिहायशी क्षेत्रों में बदबू फैल रही थी। यह परिस्थिति इतनी बदतर हो गई कि नगर की पर्यावरणीय सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय स्वशासन का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया।

पहल का विवरण

इस पहल की शुरूआत उन दिनों में (2002) हुई जब नगरपालिका वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही थी। संबलपुर के जिला प्रशासन द्वारा इस परियोजना के लिये धन जुटाया गया। इसके साथ ही, संपूर्ण परियोजना की रूपरेखा तथा उसमें उचित बदलाव जिलाधीश के निर्देशन में नगरीय स्थानीय निकाय के द्वारा किया गया। इस परियोजना के द्वारा नगर के पर्यावरणीय अधःसंरचना के विकास हेतु निजी सार्वजनिक सहयोग को करीब लाया गया। पुनः रखरखाव तथा विकासात्मक कार्यों में लगे खर्च की वसूली के लिये पार्क नौकायन क्लब द्वारा उपयोग शुल्क लगाया गया।

उपलब्ध परिणाम

- ये मनोरंजक स्थल संबलपुर आने वाले नागरिकों तथा पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र बन गए।
- पर्यावरणीय अधःसंरचना के विकास के फलस्वरूप इस नगर को राज्य में एक विशेष पहचान मिली।
- इससे नगर की बेरोजगारी को भी कम किया जा सका क्योंकि इससे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से आय में वृद्धि का अवसर मिला।
- यह नगरपालिका के आय का मुख्य स्रोत बन गया जिससे 1 लाख रूपये की मासिक दर से राजस्व प्राप्त हुआ।

प्राप्त सीख

यदि नगर प्रशासन अपने लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध है तो धन की कमी विकास में बाधक नहीं बन सकता। कुशल नेतृत्व, निष्ठा, कर्तव्य परायणता, निजी-सार्वजनिक भागीदारी तथा संसाधनों की सफल उगाही के फलस्वरूप इस परियोजना को सफल बनाया जा सका।

भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण द्वारा विकास योजना का रेखांकीकरण (डिजिटाइजेशन) 2

भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बी.डी.ए) ने संजीदगी से यह अनुभव किया कि अधिक समय लेने वाली सरकारी प्रक्रियाओं के कारण सरकारी संस्थाएँ, निर्माण कार्यों में लगे लोग तथा आम नागरिक विकास योजनाओं से संबंधित सूचनाएँ पाने में असफल रहते हैं। बी.डी.ए ने 1998 में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस) के माध्यम से विकास योजना के रेखांकीकरण का पहल किया। इसका एकमात्र उद्देश्य उपयोग कर्त्ताओं को शीघ्रता से सूचना उपलब्ध कराना था।

इस प्रणाली की मदद से 24 घंटे के अन्दर विकास योजना के किसी भी खंड के वारे में भू-खण्ड स्तर पर जानकारी उपलब्ध कराना संभव हो गया। इसके साथ ही, भवन निर्माण कानून से संबंधित सूचनाएँ भी उपलब्ध हो गई। इस प्रकार, सूचनाओं के कम्प्यूटरीकरण से बी.डी.ए के सूचना आधार को मजबूती मिली तथा उपभोक्ता सेवाओं में भी अपेक्षित सुधार हुआ।

पहल के पूर्व की परिस्थिति

भूकर राजस्व पत्र पर सभी विकास प्रस्तावों को अंकित करके इन पत्रों को बी.डी.ए के दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखा जाता था। इन दस्तावेजों के उपयोग पर रोक होने के कारण अधिकांश लोगों को भूवनेश्वर का वास्तविक विकास प्रारूप नहीं मिल पाता था।

पहल का विवरण

1998 में बी.डी.ए ने अपने आँकड़ों के कम्प्यूटरीकरण का बीड़ा उठाया जिस पर आने वाले समस्त खर्चे का वहन बी.डी.ए के आन्तरिक स्रोतों से किया गया जिसकी उगाही उपयोग शुल्क के माध्यम से की जाएगी।

भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीक के प्रयोग द्वारा मानचित्रों को रेखांकीकृत प्रतिरूप (डिजिटाइज्ड फॉरमेट) में बदला गया। इस परियोजना की परिधि में बी.डी.ए के अन्तर्गत आनेवाले सभी राजस्व ग्रामों को शामिल किया गया है। इन मानचित्रों के रेखांकीकरण तथा कम्प्यूटरीकृत आँकड़ों के निर्माण का कार्य एक स्थानीय परामर्शदात्री संस्था द्वारा संपन्न किया गया। ये मानचित्र 'आर्कइन्फो' तथा 'आर्कव्यू' नामक सॉफ्टवेयर के द्वारा रेखांकीकृत किये गये।

विकास योजना के प्रावधानों को भी कंम्प्यूटरीकृत किया गया ताकि आसानी से उन सूचनाओं को देखा जा सके।

कंम्प्यूटरीकृत प्रणाली से बी.डी.ए के कर्मचारियों को परिचित कराने के लिये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया को संपन्न होने में पाँच वर्ष लगे। उसी समय से बी.डी.ए के अन्तर्गत जुड़ने वाले सभी नये क्षेत्रों को निरन्तर शामिल करके कम्प्यूटरीकृत आंकड़ों को अद्यतन बनाया जा रहा है।

1999 में इस परियोजना की समाप्ति के उपरांत, बी.डी.ए के अन्तर्गत एक भूमि उपयोग सूचना प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया जिसका उद्देश्य निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों, भूखंड के मालिकों तथा खरीददारों को भूमि उपयोग संबंधी सूचना प्रदान करना था। इस प्रकार, प्रति उपभोक्ता 100 रूपये की दर से उपयोग शुल्क का निर्धारण किया गया। यहाँ उपनियमों से संबंधी सूचनाएँ भी दी जाती हैं।

बी.डी.ए द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर टच स्क्रीन लगाया गया है जहाँ से विकास योजना से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। इससे भू-खंड के मालिकों को विकास योजना में निर्दिष्ट प्रस्ताव के अन्तर्गत अपने भू-खंड के महत्त्व का पता चलता है।

उपलब्ध परिणाम

बी.डी.ए के सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रयासों को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। उपयोग की सरलता के कारण भू-खंड के मालिक तथा भावी खरीददार इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। यह कार्यक्रम राजस्व भूमि उपयोग स्थिति से जुड़ा है जिसके कारण भूमि उपयोग में आये किसी भी बदलाव का पता राजस्व अधिकारियों को चल जाता है।

कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली के कारण व्यवस्था को विभिन्न रूपों में लाभ पहुँचा है:

- सुधरे सार्वजनिक सूचना प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ता सेवा के स्तर में अपेक्षित सुधार हुआ है।
- उपयोग कर्त्ताओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण राजस्व जमा में वृद्धि हुई है।
- विकास नियंत्रण को प्रभावी बनाया गया तथा अप्राधिकृत निर्माण पर रोक लगाया गया।
- उपलब्ध आंकड़े भविष्य में क्षेत्रीय अथवा नगर नियोजन स्तर पर विकासात्मक योजना की तैयारी में काफी उपयोगी साबित होंगे।

प्राप्त सीख

- विकास को नियंत्रित करने में समृद्ध सूचना आधार काफी मददगार होता है।
- सूचना आधार के इस रूप के कारण सुगमता से लोगों तक सूचना पहूँची तथा ई-पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिली।

भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण द्वारा भवन निर्माण योजना के निपटान हेतु तत्काल योजना 3

द्रुत गति से वृद्धि को पा रही भुवनेश्वर सिटी में भवनों की बढ़ती मांग को देखते हुए भवन निर्माण संबंधी क्रियाकलापों में तेजी आई है। बी.डी.ए को प्रति वर्ष बड़ी संख्या में भवन निर्माण अनुमति संबंधी आवेदन प्राप्त होते हैं। किंतु प्रशासनिक अड़चनों के कारण इन आवेदनों की अनुमोदन प्रक्रिया में

विलम्ब हो जाता है। एक सुधारात्मक कदम के रूप में बी.डी.ए ने 'ग्रीन चैनल परियोजना' की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य 72 घंटे के अन्दर भवन निर्माण संबंधी अनुमोदन प्रदान करना है। निश्चित रूप से, इस नयी प्रणाली द्वारा बी.डी.ए को अपने सार्वजनिक सेवा संबंधी दायित्वों के सम्पादन में मदद मिली है।

पहल के पूर्व की परिस्थिति

2001 की जनगणना के अनुसार, भुवनेश्वर की जनसंख्या 4.1 लाख से बढ़कर 6.5 लाख हो गई। इस प्रकार, नगर की अनुमानित भवन निर्माण संबंधी आवश्यकता में प्रति वर्ष 10,000 निवास इकाई की दर से वृद्धि हो रही है।

उपनियमों के अनुसार, निजी भूखंडों में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य से पूर्व भूखंड के मालिकों के लिये यह आवश्यक है कि वे भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बी.डी.ए) से इस आशय की अनुमति लें। बी.डी.ए कार्यालय में प्रतिमाह करीब 150 आवेदन स्वीकार किये जाते हैं। सामान्य रूप से किसी भी आवेदन के पारित होने में करीब 60 दिन का समय लगता है। प्रशासनिक प्रक्रिया में विलम्ब के कारण भूखंड के मालिकों को समय पर भवन निर्माण परमिट नहीं मिल पाता है जिसके कारण वे औपचारिक स्वीकृति के बिना ही निर्माण कार्य आरंभ कर देते हैं जिससे विकास के मानदंडों तथा भवन उपनियमों का गंभीर उल्लंघन होता है।

पहल का विवरण

भूवनेश्वर विकास प्राधिकरण ने 1999 में 'ग्रीन चैनल' नामक एक अभिनव योजना का शुभारंभ किया है जिसका उद्देश्य भूखंड के मालिकों को 72 घंटे के अंदर भवन निर्माण परमिट उपलब्ध कराना है ताकि वे स्वीकृत योजना के अन्तर्गत अपने भवन का निर्माण कर सकें। ध्यातव्य है कि यह कार्यक्रम उन भूखंडों पर लागू होता है जिसके लिये भूखंड के मालिकों ने सभी विकासात्मक उपबंधों को माना है तथा संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन किया है। भूखंड के मालिकों को प्राथमिकता के आधार पर आवेदन के प्रसंस्करण के लिये प्रति आवेदन 100 रूपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में देय होगा। ऐसे आवेदनों पर तुरंत विचार किया जाता है तथा 72 घंटे के अंदर भवन निर्माण स्वीकृति आदेश जारी किये जाते हैं ताकि निर्माण कार्य हेतु बैंक से ऋण आदि प्राप्त करने में सहूलियत हो।

उपलब्ध परिणाम

भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण द्वारा चलाये गये इस कार्यक्रम के प्रति लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया रही तथा प्राधिकरण प्रति वर्ष 200 से 400 मामले निपटाने में सफल हो गई। जल्द ही यह कार्यक्रम प्रसिद्ध हो गया तथा भूमि मालिक स्वेच्छा से शुल्क देकर निर्धारित समय में भवन योजना परमिट पाने लगे।

इस प्रकार, नगर के अनियंत्रित विकास की समस्या को बहुत हद तक दूर किया जा सका। इस कार्यक्रम के परिणाम को नीचे दर्शाया गया है:

- जन सेवा के स्तर में सुधार हुआ;
- नागरिक संतुष्टता में वृद्धि हुई;
- बी.डी.ए के राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई; एवं
- अनधिकृत विकास पर रोक लगाकर विकास नियंत्रण को प्रभावी बनाया गया।

प्राप्त सीख

नगरीय स्थानीय निकायों से बेहतर तथा सक्षम सेवा की निरन्तर मांग की जाती है तथा इसके बदले में नागरिक अतिरिक्त सेवा शुल्क चुकाने के लिये भी तैयार हैं। विकास प्राधिकरण तथा नगरीय स्थानीय निकाय पिछले भवन निर्माण स्वीकृति से जुड़े मामलों से बोझिल होने के बावजूद नागरिक सेवा का विस्तार तथा अनधिकृत निर्माण पर रोक लगा सकते हैं।

भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण द्वारा चलाई गई द्रुत सफाई सेवा (एक्सप्रेस क्लिनिंग सर्विसेज) पद्धति 4

भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण ने 1999 में 'द्रुत सफाई सेवा' (एक्सप्रेस क्लिनिंग सर्विस) नामक नवीन पद्धति की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत जीव-चिकित्सा से संबंधित ठोस कचरे तथा निगम के ठोस कचरे को अलग-अलग इकट्ठा किया जाएगा। इस ठोस कचरा प्रबंधन में साझेदारी व्यवस्था को अपनाया गया है।

पहल के पूर्व की परिस्थिति

कचरे की मात्रा में लगातार वृद्धि के कारण निगम की जिम्मेवारी में वृद्धि हुई है। यद्यपि निगम ने अपने कार्य के संपादन में अनेक नवीन साधनों का उपयोग किया है तथापि निगम की जरूरतों को देखते हुए यह परिणाम बहुत कम है।

जीव-चिकित्सा के उपरांत उत्पन्न ठोस कचरे के प्रबंधन का कोई इंतजाम नहीं था। ये कचरे मनमाने ढ़ंग से सार्वजनिक स्थलों पर फेंक दिये जाते थे जिनके ढ़ेर को भटके जानवर रौंदते हुए नजर आते थे।

पहल का विवरण

द्रुत सफाई सेवा को आरंभ करने का उद्देश्य कचरे के मूल स्रोतों यथा, अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, जलपान गृह एवं फ्लैटों से कचरे इकट्ठा करना तथा उसी स्थान पर उसका विलगाव करना था। इस कार्य के उचित निगरानी के लिये निगम अधिकारियों तथा नागरिकों के सौजन्य से तीन प्रकार

के संघ बनाये गए:

- द्रुत अस्पताल एवं नर्सिंग होम सफाई सेवा;
- द्रुत होटल एवं जलपान गृह सफाई सेवा; एवं
- द्रुत फ्लैटों की सफाई सेवा।

तीन अलग-अलग स्रोतों से उत्पन्न होनेवाले ठोस कचड़े के प्रबंधन की जिम्मेवारी तथा द्रुत सफाई सेवा की निगरानी का कार्य उपर्युक्त तीन संघों को सौंप दिया गया है। अब तक 30 अस्पतालों एवं नर्सिंग होम, 32 होटल एवं जलपान गृह तथा 43 रिहायशी फ्लैटों ने द्रुत सफाई सेवा के अन्तर्गत अपना पंजीकरण कराया है। इन इकाईयों को सेवा शुल्क के रूप में नाममात्र धन चुकाना पड़ता है जिस धन का उपयोग इस सेवा से जुड़े दैनिक खर्च को पूर्ण करने में होता है।

उपलब्ध परिणाम

- विशेष रूप से अस्पताल एवं नर्सिंग होम के लिये चलाये गये द्रुत सफाई सेवा के माध्यम से हानिकारक जीव चिकित्सा से जुड़े कचरे को अन्य प्रकार के ठोस कचरे से अलग करना संभव हो गया है।

- इस द्रुत सफाई सेवा प्रक्रिया में नागरिक भागीदारी तथा अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) के कारण सेवा के स्तर में काफी सुधार आया है।

- संघों द्वारा समय समय पर आयोजित किये जाने वाले सेमिनार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है।

प्राप्त सीख

अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) के निर्धारित स्तर को पाने के लिये नागरिक भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठोस कचरा प्रबंधन में सक्रिय नागरिक भागीदारी के कारण नागरिक सजगता में वृद्धि हुई है।

राज्य की नगरीय रूपरेखा
चयनित राज्यः आंध्र प्रदेश

नगरीय वित्त के इस अंक से भारतीय राज्यों के नगरीय रूपरेखा संबंधी विशेष लेख का प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें राज्य विशेष के नगरीय विकास से जुड़े पहलों, योजनात्मक विकास, प्रबंधन एवं शासन का उल्लेख होगा।

- भारत के कुछ बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश का नाम आता है जो 270,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला है। राज्य की कुल 20 मिलियन जनसंख्या (2 करोड़) का 27 प्रतिशत नगरों में निवास करती है। यहाँ तेजी से नगरीकरण हुआ है किंतु इसकी दर सर्वत्र एकसमान नहीं है। तेलंगाना क्षेत्र में हैदराबाद की अवस्थिति के कारण नगरीकरण का सर्वाधिक 44 प्रतिशत मिलता है। इसके अलावा तटवर्ती आंध्र प्रदेश में 41 प्रतिशत तथा रायलसीमा क्षेत्र में 16 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या अवस्थित है। आंध्र प्रदेश के तीन मुख्य नगरीय क्षेत्र - हैदराबाद नगरीय समूह, विजयवाड़ा-गुंटूर क्षेत्र तथा विशाखापत्तनम हैं। यहाँ बड़े नगरीय क्षेत्रों का तेजी से विकास हो रहा है वहीं छोटे नगरों का विकास लगभग स्थिर है।

- आंध्र का विस्तृत तटवर्ती क्षेत्र औद्योगिक समूह के विकास के लिये आकर्षक अवस्थिति प्रदान करता है। यातायात एवं संचार की सुविधा तथा औद्योगिक छतरी के कारण यह क्षेत्र निवेश के लिये आकर्षक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। इसके अलावा करीमनगर, वारंगल, तिरूपति, अनन्तपुर एवं नेल्लोर अन्य आदर्श समूह हैं।

- नगरीकरण की ऊँची दर एवं नगरीय स्थलों में जनसंख्या के जमाव ने भीड़-भाड़, नगरीय सेवा एवं अधःसंरचना पर दबाव जैसी अनेक समस्याओं को जन्म दिया है।

- नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में जल आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी आधारभूत नगरीय सुविधाओं का विकास नहीं हो रहा है। इसके कारण, नगरीय क्षेत्रों में 17.71 प्रतिशत जनसंख्या जल निकास, 21.93 प्रतिशत जनसंख्या प्रसाधन तथा 13.50 प्रतिशत जनसंख्या पेय जल की सुविधा से वंचित है।

- पर्यावरणीय समस्याएँ तथा उनके समाधान के प्रयास आम रूप से बड़े नगरीय केन्द्रों तक सीमित हैं। आन्ध्र प्रदेश में, नगरों की पर्यावरणीय परिस्थितयों में सुधार का मुहिम चलाया जा रहा है। नगरीय स्थानीय निकायों ने कचरा विसर्जन स्थल को पार्क में तब्दील किया है तथा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए हैं। इसके साथ ही, अभिनव कचरा एकत्रीकरण कार्यक्रम; जल निकास की सुव्यवस्था तथा वर्षा जल के संग्रहण के लिये नागरिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

- मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के सहयोग लिया गया जिससे न सिर्फ उनके जीवन स्तर में सुधार लाया गया वरन बेहतर कार्यप्रणाली एवं प्रबंधन द्वारा सेवा में प्रभावी सुधार लाया गया।

- हैदराबाद को देश के कुछ श्रेष्ठ प्रबंधित नगर निगमों में गिना जाता है जहाँ बेहतर प्रबंधन हेतु अनेक उपाय किये गये हैं; यथा, संपत्ति कर में सुधार हेतु क्षेत्र आधारित प्रणाली को अपनाना, संपत्ति कर का स्व मूल्यांकन तथा विभिन्न सेवाओं के लिये निकटवर्ती पद्धति के आधार पर एकल खिड़की सुविधा प्रदान करना आदि।

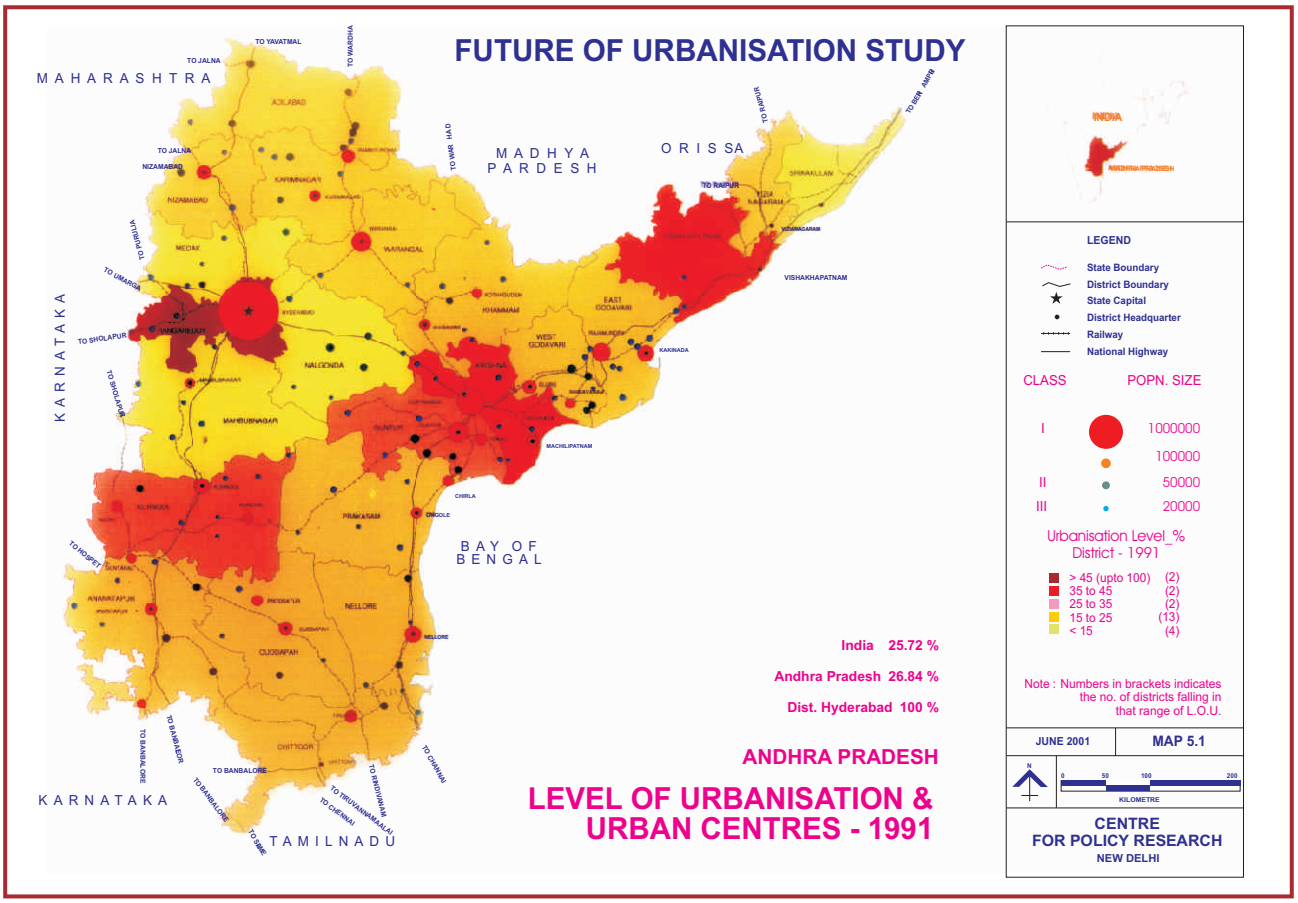

स्रोत : द फ्यूचर ऑफ अरबनाइजेशन, स्प्रेड एंड शेप इन सेलेक्टेड स्टेट्स, सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च नई दिल्ली, जून 2001

आंध्र प्रदेश की मुख्य झलकियाँ

राजधानी:	हैदराबाद
कुल जनसंख्या:	76,210,007
नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत:	27.08
क्षेत्रफल (000 वर्ग किमी):	270
नगरीय सथानीय निकायों की संख्या:	116
■ नगर निगम:	7
■ नगरपालिका:	94
■ नगर पंचायत:	15
मलिन जनसंख्या (%):	32.68
लिंग अनुपात:	978
साक्षरता दर (%):	60.05
प्रति व्यक्ति आय (1992-93 के मूल्य के आधार पर रूपये में):	5,802
मातृभाषा:	तेलगु एवं उर्दू

स्रोत : भारत की जनगणना, 2001 एवं फ्यूचर ऑफ अरबनाइजेशन, स्प्रेड एण्ड शेप इन सेलेक्टेड स्टेट्स, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली, जून 2001

■ आन्ध्र प्रदेश को नगरीय सुधारात्मक पहल का अग्रदूत माना जाता है। इसके बावजूद, तीव्र नगरीकरण के प्रभाव से सक्षम एवं प्रभावी रूप से निवटने के लिये उपयुक्त नीतियों की आवश्यकता है। इन नीतियों द्वारा नगरीय आकार में वृद्धि का नियमन एवं प्रबंधन, नगरीय स्थानीय निकायों का बेहतर प्रबंधन, नागरिक अधःसंरचना के विकास में निवेश, नगरीय निर्धन तथा असुरक्षित वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर कार्यक्रमों तथा योजनाओं के सृजन की आवश्यकता है।

कर मुक्त बॉंड से संबंधित नवीनतम सूचना

चेन्नेई नगर निगम द्वारा जारी कर मुक्त बॉंड

चेन्नेई नगर निगम बाजारोन्मुख होकर निजी क्षेत्रों को कर मुक्त बॉंड जारी कर रही है। इन बॉंड से प्राप्त होने वाली आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(15) (vii) के तहत कर मुक्त होगी। जनसंख्या, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र, मोटरगाड़ियों की संख्या तथा आवास की दृष्टि से चेन्नेई भारत के तेजी से वृद्धि को पा रहे कुछ महानगरों में से एक है। निर्माण एवं सेवा क्षेत्र में तीव्र वृद्धि को देखते हुए चेन्नेई महानगर की अधःसंरचना संबंधी मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। 174 वर्ग

बजट 2005-06: अधःसंरचना से जुड़ी मुख्य झलकियाँ

- राष्ट्रीय राजपथ विकास परियोजना *(नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट - एन.एच.डी.पी)*: राष्ट्रीय राजपथ विकास परियोजना के तृतीय चरण की शुरुआत 2005-06 में हुई जिसका लक्ष्य अधिक घनत्व वाले उन राजपथों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना था जो स्वर्ण चतुर्भुज (गोल्डेन क्वाड्रिलेटरल) अथवा उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम गलियारे का हिस्सा नहीं बन पाये थे। इसके अन्तर्गत चार लेन वाले 4000 किलोमीटर लंबे राजपथ के विकास के लिये 1400 करोड़ रूपये तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विशेष सहायता पैकेज के रूप में 450 करोड़ रूपये आबंटित किये गये हैं।

- इंदिरा आवास योजनाः इस योजना के आबंटन को वर्ष 2005-06 में बढ़ाकर 2,750 करोड़ कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत अगले वर्ष तक 15 लाख आवासों का निर्माण होगा।

- विशिष्ट उद्देश्य प्रणालीः इस प्रणाली का गठन दीर्घ अदायगी वाले ऋण प्रदान करने के लिये किया गया है जिसके द्वारा विशेष रूप से मूल्यांकन के बाद पाये गये योग्य परियोजनाओं की पूँजी निवेश संबंधी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये सीधे ऋण प्रदान किया जाएगा। इस ऋण की ऊपरी ऋण सीमा का निधारण वर्ष 2005-06 के लिये 10,000 करोड़ किया गया है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुख सुविधाओं का प्रावधान *(प्रोविजन ऑफ अरवन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज - पी.यू.आर.ए)*: असंगठित उद्यमों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुख सुविधाओं के प्रावधान को ध्यान में रखकर ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रायोगिक परियोजना के रूप में कुछ विकास स्तंभों (ग्रोथ पोल) को निर्मित करने का प्रस्ताव किया है। वर्ष 2005-06 में उनमें से कुछ प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत विकास स्तंभ के रूप में की जाएगी।

स्रोत : बजट दस्तावेज, 2005

उपकरण	असुरक्षित, निष्क्रेय एवं अपरिवर्त्तनीय कर मुक्त बाँड
क्रेडिट रेटिंग	क्रिसिल द्वारा AA (SO) से प्रमाणित
न्यूनतम अंशदान	1 मिलियन (दस लाख) रूपये प्रति बाँड (एक बाँड के गुणक के रूप में)
अवधि	जारी करने की तिथि से 10 वर्ष
बाँड स्कीम से बाहर निकलना	बाँड जारी करने के 5 वर्ष पूरा होने पर
कूपन (लाभांश)	5.38 %
ब्याज की आवृति	द्वि-वार्षिक
वार्षिक कूपन (लाभांश)	5.45
ब्याज अदायगी की तिथि	29 अक्टूबर एवं 29 अप्रैल (बाँड की अवधि के दौरान प्रति वर्ष)
पुनर्लाभ/पुनः प्राप्ति या वापसी	बाँड जारी करने की तिथि के ठीक 8वें, 9वें एवं 10वें वर्ष में 30: 30: 40 के अनुपात में धन की वापसी होगी।
विश्वसनीयता में वृद्धि	क्षेत्र I, II एवं VIII से संपत्ति कर की वसूली को भविष्य में वसूली के लिये छोड़ दिया जाय।
न्यासी	सभी प्रकार के निर्गमन के लिये ओवरसीज बैंक को न्यासी बनाया गया है।

किमी क्षेत्रफल में फैले चेन्नेई महानगर में 4.22 मिलियन (42.16 लाख) जनसंख्या निवास करती है जिसके लिये जन सुविधाओं; यथा, सड़कों, पूलों, जल निकास, ठोस कचरे का प्रबंधन एवं गली प्रकाशीय व्यवस्था, पार्क एवं स्वास्थ्य इकाईयों की व्यवस्था एवं प्रबंधन की जिम्मेवारी चेन्नेई नगर निगम की बड़ी चुनौती है। यहाँ प्रति व्यक्ति 0.41 मीटर लंबी सड़क की दर से सड़क की कुल लम्बाई 1600 किमी है। निगम द्वारा नियमित रूप से सड़क निर्माण, देख-रेख एवं मरम्मत, दर्जे में सुधार तथा डामरीकृत सड़क को कंक्रीट सड़क में बदलने का कार्य हो रहा है। इस प्रकार, अनेक सड़कों के पुनर्निर्माण, पैदल पथ (फुटपाथ) तथा वाहनों के अधिक बोझ वाले डामरीकृत सड़क को कंक्रीट सड़क में बदलने में आनेवाली लागत 134.42 करोड़ रूपये है। कर मुक्त बाँड से प्राप्त होने वाले धन (134.42 करोड़ रूपये) का प्रयोग वित्त के सृजन तथा चेन्नेई को जोड़ने वाले अतिरिक्त सड़कों के निर्माण में होगा। संपत्ति कर के संग्रहण को सुदृढ़ करने के उपरांत समयबद्ध रूप से मूलधन तथा ब्याज की अदायगी के लिये संरचनाबद्ध भुगतान क्रियाविधि को अपनाया गया। इस व्यवस्था के तहत समयबद्ध रूप से मूलधन तथा व्याज की अदायगी को अधिक सुरक्षित मानते हुए क्रिसिल द्वारा AA (SO) से प्रमाणित किया गया।

क्रिसिल (सी.आर.आई.एस.आई.एल) का यह अनुमान है कि संग्रहण क्षमता में अपेक्षित सुधार एवं कर्मचारियों के व्यय में अपेक्षित नियंत्रण द्वारा चेन्नेई नगर निगम का राजस्व अधिशेष सामान्य रूप से बढ़ेगा। बड़े पैमाने पर पूँजीकृत व्यय योजनाओं के कारण भविष्य में चेन्नेई नगर निगम के ऋण में बढ़ोत्तरी की संभावना है; तथापि राजस्व अधिशेष में वृद्धि के कारण ऋण चुकाने की क्षमता में कोई अंतर नहीं होगा।

चेन्नेई महानगर जल आपूर्ति एवं मल-जल बोर्ड द्वारा जारी कर मुक्त म्यूनिसिपल बाँड

चेन्नेई महानगर जल आपूर्ति एवं मल-जल बोर्ड ने 50 करोड़ (500 मिलियन) रूपये का अरक्षित वापसी योग्य कर मुक्त म्यूनिसिपल बाँड जारी किया है जिसका अंकित मूल्य 10 लाख रूपये प्रति बाँड है।

इस बाँड द्वारा जारी की गई राशि का उपयोग चेम्बारंवक्कम में 530 मिलियन लिटर प्रति दिन की क्षमता वाले जल शोधक संयंत्र के निर्माण में होगा तथा 220 करोड़ रूपये की अनुमानित राशि से चेम्बारंवक्कम से पोरूर तक शुद्ध जल का परिवहन होगा। इस परियोजना के कुछ खर्च का वहन फ्रांसिसी सरकार की सहायता से हो रहा है।

चेन्नेई महानगर जल आपूर्ति एवं मल-जल बोर्ड द्वारा जारी कर मुक्त म्यूनिसिपल बाँड की विशेषता

बाँड की प्रकृति	अरक्षित वापसी योग्य कर मुक्त म्यूनिसिपल बाँड
निजी स्रोतों से प्राप्तियाँ	50 करोड़ रूपये
प्रतिभूमि का अंकित	10 लाख रूपये
मूल्य (प्रति बाँड अंकित मूल्य)	999 रूपये
क्रेडिट रेटिंग	क्रिसिल द्वारा AA (SO) से प्रमाणित
अवधि	जारी करने की तिथि से 7 वर्ष
पुनर्लाभ/पुनःप्राप्ति /वापसी	बाँड जारी करने की तिथि के ठीक 5वें, 6ठे एवं 7वें वर्ष में 6 अर्ध-वार्षिक किस्तों में धन की वापसी होगी।
कूपन (लाभांश) दर	5.20 % वार्षिक दर से साल में दो बार देय होगा।
कर संबंधी छूट	बाँड पर जारी ब्याज कर मुक्त होगा।
ब्याज की अदायगी	द्वि-वार्षिक, पहले किस्त की अदायगी दिसम्बर 31, 2005 में होगी।

कोच्चि घोषणा पत्र

हम, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से आये हुए 125 देशों के महापौर (मेयर) तथा उप-महापौर (उप-मेयर), विभिन्न सरकारों, शैक्षिक संस्थानों, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा जन संस्थाओं के भागीदारों द्वारा समर्थित सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (मिलेनियम डेवलपमेंट लक्ष्य - एम.डी.जी) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने के लिये कोच्चि में 2-4 अप्रैल, 2005 को इकट्ठा हुए हैं।

हमारा दृढ़ विश्वास है कि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेवलपमेंट गोल - एम.डी.जी) एक विस्तृत विकासात्मक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर सामाजिक, आर्थिक निष्पक्षता एवं प्रगति द्वारा गरीबी का निवारण तथा मानव मात्र के लिये न्याय, शांति एवं निष्पक्षता सुनिश्चत करना है।

हम अपने समस्त क्रिया कलापों में सामूहिक जिम्मेवारी के साथ-साथ स्वतंत्रता, समानता, एकता, सहनशीलता, प्रकृति का आदर जैसे मूलभूत गुणों के प्रति हमारी संपूर्ण निष्ठा प्रकट करते हैं।

निर्धनता, बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, रुग्णता एवं पर्यावरणीय प्रदूषण को सीमित करने तथा शिक्षा, लैंगिक निष्पक्षता एवं साझेदारियों को बढ़ाने में हम नगर की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं।

उपर्युक्त संदर्भ में, सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य को केन्द्रीय भूमिका दिलाने तथा निर्धनता में कमी लाने एवं नगर के विज़न, योजनाओं तथा समस्त क्रियाकलापों में निष्पक्षता को केन्द्रीय महत्व प्रदान करने में हम अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।

हम स्वीकार करते हैं कि निर्धनता पूर्णरूप से एक स्थानीय मुद्दा है जिसका समाधान स्थानीय हस्तक्षेप द्वारा ही संभव है। इन स्थानीय व्यवहारों को समर्थ बनाने के लिये सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को नगरों के प्रति प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, नगर की वास्तविक परिस्थितियों तथा निर्धनता निवारण के उद्देश्यों को ध्यान में रखने की जरूरत है।

हम राष्ट्रीय लक्ष्यों के संदर्भ में निर्धनता निवारण हेतु स्थानीय हस्तक्षेप अथवा स्थानीय व्यवहारों को ढूँढ़ने का प्रयास करेंगे। पुनः नगर विशेष के संदर्भ में उसे अपनाने की कोशिश करेंगे ताकि निर्धनता को न्यूनतम करने के प्रयासों को सार्थक बनाया जा सके। लेकिन, ये सभी प्रयास सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त होंगे।

हमारी ऐसी धारणा है कि नगरीय निर्धनता को परिभाषित करने में आर्थिक मानदंडों के साथ साथ गैर-आर्थिक मानदंडों को भी समाहित किया जाय तथा सभी प्रकार के नगरीय नीति निर्माण में भूमि अथवा रोजगार की सुरक्षा, आधारभूत नगरीय सुविधाओं तक पहुँच, प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं शिक्षा तथा जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाय। इसके लिये, निर्धनता उन्मुख कानूनी सुधार की आवश्यकता है जो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति द्वारा ही संभव है।

हम इस बात से आश्वस्त हैं कि निर्धनता को न्यून करने में शिक्षा की बहुआयामी भूमिका है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वजनिकरण द्वारा हमने एक समर्थ वातावरण के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया है जिसमें निर्धन छात्रों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उचित प्रबंध होगा।

सभी प्रकार के लिंग भेद तथा असमानता को समाप्त करने तथा लिंग समर्थन के लिये उचित माहौल तैयार करने के प्रति हम सभी बचनबद्ध हैं।

शिशु एवं मातृ मृत्यु दर एक गंभीर नगरीय समस्या है जिससे हम अवगत हैं। हमारा मानना है कि इस समस्या को स्थानीय स्तर पर ही सही रूप से सुलझाया जा सकता है। इसलिये, यह प्रस्तावित किया गया है कि सभी प्रकार के परिचालन प्रबंधन के लिये नगरों को कार्यात्मक आधार बनाया जाय।

हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जल एवं कचड़े के प्रबंधन हेतु धारणीय एवं विकेन्द्रीकृत व्यवस्था को स्वीकार करेंगे, सस्ते तकनीक के प्रयोग को बढ़ाएँगे तथा सबसे बढ़कर वायु, जलाशयों तथा हरियाली की सुरक्षा एवं संरक्षण की दिशा में कार्य करेंगे। सुधरे आधारभूत नगरीय सेवाओं के प्रदाय द्वारा मलिन बस्ती में रहनेवालों के जीवन परिस्थितियों में सार्थक सुधार का प्रयास करेंगे।

हम स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सरकारों के बीच मजबूत साझेदारी की वकालत करते हैं तथा क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर नगरीय सहयोग की अनुशंसा करते हैं।

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य के द्वारा सभ्य समाज के समस्त साझीदारों को महत्वपूर्ण भूमिका मिला है। इन साझीदारों में व्यवसायिक संस्थाएँ, कामगार संगठन, सामुदायिक एवं गैर-सरकारी संगठन, महिलाओं के विभिन्न वर्ग एवं अन्य साझीदारों के साथ-साथ निर्धन भी शामिल हैं। इस नागरिक भागीदारी एवं अन्तर्क्रिया के लिये उपलब्ध संस्थागत स्थल को नीतियों के निर्धारण, प्राथमिकताओं, कार्यनीति एवं कार्य योजना के निर्माण, उनके क्रियान्वयन एवं जाँच से अविभाज्य मानना चाहिये।

हम यह विश्वास दिलाते हैं कि जहाँ तक संभव होगा हम अपनी क्षमता के अंदर संसाधनों की उपलब्धता एवं आबंटन का प्रयास करेंगे ताकि निर्विघ्न रूप से सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इसके साथ ही, हम राज्य सरकारों से अनुरोध करते हैं कि वे सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यो की मूल भावना के अनुसार वित्तीय विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ कार्यात्मक जिम्मेवारियों के विकेन्द्रीकरण को भी प्रोत्साहित करें।

हम ऋणदाता देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय दाता संगठनों से उदार सहायता की अपील करते हैं ताकि भारतीय नगरों में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

हम श्रेष्ठ नगरीय प्रशासन के सामर्थ्य से अवगत हैं जिसके तहत विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता, जिम्मेवारी, सभ्य समाज की सहभागिता एवं साझेदारी के माध्यम से निर्धनता में कमी की जा सकती है तथा समता, न्याय एवं ईमानदार प्रयासों को बढ़ावा मिल सकता है।

- इस प्रकार, हमलोग यह संकल्प लेते हैं कि:
  - सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को अपने नगर के संदर्भ में देखना है तथा उन लक्ष्यों को निर्धारित करना है जिसे हम पूर्ण करना चाहते हैं।
  - निर्धनता निवारण, शिक्षा, लिंग, शिशु एवं महिला मृत्यु दर जैसी गंभीर समस्याओं को वरीयता प्रदान करना है।
  - मलिन बस्ती एवं दूसरे संवेदनशील वर्ग के हितों पर जोर देते हुए हम नगर के लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिये संसाधन आबंटित करने का आश्वासन देते हैं।
  - नगर के दूसरे साझीदारों को शामिल करना है तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें उचित भूमिका प्रदान करना है।
  - प्रक्रियात्मक बदलाव, सेवा प्रदाय में सुधार तथा श्रेष्ठ नगरीय प्रशासन का लाभ समस्त नागरिकों को दिलाने के लिये नवीन तकनीक, उनमें भी सूचना एवं संचार तकनीक हासिल करना है।

स्रोतः ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्मेंट, मुम्बई

संक्षेप में नगरीय अधःसंरचना से जुड़े समाचार

- राष्ट्रीय राजपथ कार्यक्रम से संबंधित उत्तर-दक्षिण गलियारे को सुधारने तथा रूपान्तरित करने के लिये एशियाई विकास बैंक ने $ 40 करोड़ ($ 400 मिलियन) का ऋण स्वीकृत किया है।
- नगरीय स्थानीय निकाय तथा नगरीय अधःसंरचना में सुधार लाने के लिये आंध्र प्रदेश सरकार ने नगरीय सुधार एवं सेवा परियोजना को $ 30 करोड़ ($ 300 मिलियन) का ऋण स्वीकृत किया है। पुनः,आंध्र प्रदेश नगरीय अधःसंरचना कोष नामक न्यास की स्थापना के साथ ही विश्व बैंक से भी सहायता प्राप्त करना संभव हो गया है।
- उड़ीसा सरकार ने सड़कों के निर्माण एवं नवीकरण के लिये 23.57 अरब (23.57 बिलियन) रूपये की लागत से 805 किमी में विस्तृत राज्य के 14 जिलों में एक पंचवर्षीय सड़क परियोजना की शुरूआत की है। इस परियोजना को 70 प्रतिशत धन विदेशी सहायता से एवं 30 प्रतिशत धन राज्य सहायता के रूप में प्राप्त होगा।
- दिल्ली नगर निगम के अनुसार, कचरा उत्पन्न करने वाले दिल्ली के नागरिकों को उसका मूल्य चुकाना चाहिये। इस संदर्भ में, 'ए' एवं 'बी' श्रेणी के कॉलोनियों के लिये 'प्रदूषक अवश्य मूल्य चुकाएँ' नामक सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही, निगम ने मल-जल निकास एवं स्वच्छता पर किये गये खर्च की वसूली का प्रस्ताव भी रखा है।
- संपत्ति कर का संग्रहण पूँजीगत मूल्य प्रणाली (कैपिटल वैल्यू सिस्टम - सी.वी.एस) पर आधारित स्व मूल्यांकन कार्यक्रम के अन्तर्गत 75 पैसे से 1 रूपये प्रति वर्ग फीट की दर से हो रहा है। सी.वी.एस के तहत कर का निर्धारण उप-रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित मूल्य तथा लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी) द्वारा निर्धारित दर के आधार पर भूमि के मूल्य तथा निर्माण पर आनेवाले खर्च के आधार पर होता है। पुरानी व्यवस्था कुल वार्षिक किराये (ग्रॉस एनुअल रेन्ट) पर आधारित थी। नगरीय स्थानीय निकाय प्रशासन के निदेशालय द्वारा 43 नगरपालिकाओं में संचालित सर्वेक्षण के अनुसार इस प्रक्रिया के दौरान कर्नाटक सरकार को 15 प्रतिशत राजस्व की कमी हो रही है।
- चेन्नेई नगर निगम 5.38 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से 10 वर्षों के लिये 50 करोड़ रूपये का कर मुक्त म्यूनिसिपल बॉंड जारी करेगी। इस बॉंड पर दिये जाने वाले ब्याज की अदायगी द्वि-वार्षिक रूप में होगी तथा धन की वापसी 8वें, 9वें तथा 10वें वर्ष में की जाएगी। इस प्रकार, निर्धारित वार्षिक ब्याज 5.45 प्रतिशत होगा।

घटनाएँ
एफ.आई.आर.ई/रा.न.का.सं द्वारा संचालित/समर्थित

- म्यूनिसिपल अकाउण्टिंग रिफॉर्मस् पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनारः 7 फरवरी, 2005 को राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान एवं इंडो-यू.एस.ए.आई.डी के सौजन्य से शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यह सेमिनार आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सभी साझीदारों को राष्ट्रीय म्यूनिसिपल अकाउण्टिंग मैनुअल की मुख्य विशेषताओं से परिचित कराना तथा आगे की मंजिल तय करना था।
- मॉडल म्यूनिसिपल लॉ पर आधारित क्षेत्रीय कार्यशालाः 11 फरवरी, 2005 को हैदराबाद तथा 8 अप्रैल, 2005 को पूणे में राज्य सरकारों एवं स्थानीय प्रशिक्षण नेटवर्क संस्थानों के सौजन्य से शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यह कार्यशाला आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में राज्य सचिवों/ स्थानीय स्वशासी संस्थानों, म्यूनिसिपल प्रशासन के निदेशक तथा देश के दक्षिणी एवं पश्चिमी क्षेत्रों के कुछ चुने हुए नगरों के आयुक्तों ने भाग लिया।

- म्यूनिसिपालिकाः 3 से 5 मार्च, 2005 के बीच नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी एवं प्रदर्शनी के साथ-साथ नगर के विकास एवं प्रबंधन तकनीक, समस्याएँ एवं संभावना विषय पर मेयरों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इससे श्रेष्ठ प्रशासन एवं प्रभावी सेवा प्रदाय से जुड़े सरकार, सार्वजनिक एवं सेवा प्रदायी संगठनों के बीच प्रभावी संवाद एवं विचारों के आदान प्रदान का अवसर मिला। इस संगोष्ठी का आयोजन कुछ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के सौजन्य से गुड गवर्नेंस फाउंडेशन द्वारा किया गया।

- मेगा सिटी क्लब की शुरूआतः दिल्ली नगर निगम, यू.एस.ए.आई.डी एवं दक्षिण एशियाई जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम के द्वारा मार्च 18-19, 2005 को मानेसर में मेगा सिटी क्लब की शुरूआत की गई। इस क्लब की अवधारणा एक विचार स्थल के रूप में की गई जिसमें स्थानीय स्वशासन से संबंधित मुद्दों पर मेगा म्यूनिसिपल संस्थाओं के प्रधानों के बीच संवाद स्थापित करना था। इस क्लब में बड़े एवं तेजी से वृद्धि को पा रहे महानगरों को शामिल किया जाएगा। आरंभिक तौर पर, इसमें दिल्ली, मुम्बई, कोलकता, चेन्नेई, बंगलोर, हैदराबाद एवं अहमदावाद सरीखे सात मेगा नगरों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, इस क्लब में केन्द्र एवं राज्य के प्रतिनिधियों, दाता संगठनों, वित्तीय संस्थाओं, निजी उपक्रमों एवं गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जाएगा।

- पर्यावरणीय विशिष्ट सभा (इन्वायरमेंटल कॉंक्लेव): 'टिकाऊ कचरा प्रबंधन - व्यवसायिक संभावनाओं की तलाश एवं निजी सार्वजनिक साझेदारी' पर फिक्की द्वारा मार्च 22-23, 2005 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में, भारत में कचरा प्रबंधन के बाजार की चुनौतियाँ एवं संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया।

- विश्व मेयर सम्मेलनः 'सहस्राब्दी विकास लक्ष्य एवं नगरों की भूमिका' विषय पर जोर देते हुए 2-4 अप्रैल, 2005 को कोच्चि में विश्व मेयर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस पहल में स्थानीय स्वशासन विभाग, केरल सरकार, केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (के.आई.एल.ए), कोच्चि नगर निगम एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस ने भाग लिया।

लेखों की माँग

नगरीय शासन के स्तर को सुधारने हेतु भारत में नगरीय स्थानीय निकायों ने सुधार-प्रक्रियाओं की पहल की है। यद्यपि ये सुधारात्मक पहल अनेक नगरीय स्थानीय निकायों में हो रहे हैं किंतु उनमें से कुछ अत्यधिक प्रगतिशील तथा प्रभावी है, परंतु ये प्रयास एक दूसरे को अपने अनुभव से लाभान्वित किए बिना एकाकी रूप से हो रहे हैं।

रा.न.का.सं. आपसे आपके राज्य अथवा नगरीय स्थानीय निकायों में नगरीय सुधार पर ऐसे प्रयासों को नगरीय वित्त न्यूजलेटर में प्रकाशित करने के लिए प्रस्तुत करने का निवेदन करता है। इसका उद्देश्य सारे देश में नगरीय स्थानीय निकायों की उपलब्धियों को पहचान देना तथा जागरूकता को बढ़ाना है। लेख 800 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। कृपया अपने लेख mmathur@niua.org पर प्रेषित करें।

सुझाव सामग्री

प्रिय पाठक,
नगरीय मुद्दों के प्रति आपकी गहरी रुचि एवं आपकी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया/परामर्श 'नगरीय वित्त' के स्तर में सुधार के लिये महत्वपूर्ण है। कृपया, अपना महत्वपूर्ण सुझाव सम्पादक के नाम निम्न पते पर भेजें।

पुनः, सभी पाठकों से अनुरोध है कि आप अपना पता जिसमें आपका पिन कोड, टेलिफोन/मोबाईल नंबर, ई–मेल, फैक्स आदि शामिल हो, अवश्य भेजें।

संपादक
नगरीय वित्त
राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान
कोर 4–बी, I व II मंजिल,
इंडिया हैबिटाट सेन्टर, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110003, भारत
फोन : 91-11-24617543,
24643284, 24617517
फैक्स : 91-11-24617513
ई–मेल : niua@niua.org
वेबसाइट : www.indiaurbaninfo.com

संपादक
डा० एम. पी. माथुर
सहायक संपादक
सतमोहिनी ईशा श्रीवास्तव रे,
नवीन माथुर एवं हितेष वैद्या
अनुवादक
डा० बरूण कुमार
सचिव स्तर पर सहायक
सी. बी. पाण्डेय
प्रकाशक
राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान
नई दिल्ली–110003
मुद्रक
शुभम्, नई दिल्ली–110058
मो: 9811224461, 9868846466,